एस.एस. जैन सुबोध
महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

एयरपोर्ट रोड़, सांगानेर, जयपुर

Phone: 0141-2794216, 2794217, 2791864

Email: subodhttcollegejaipur@yahoo.com

कार्मिक आचार संहिता

- महाविद्यालय के नियमो के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, कर्त्तव्यनिष्ठता की भावना से ओतप्रोत।
- महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता, सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगात्मक व्यवहार से परिपूर्ण।
- संस्था की प्रतिष्ठा एंव गरिमा के अनुरूप कार्य एंव व्यवहार व गोपनीय तथ्यों के प्रति संवेदनशीलता।
- महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का प्रयोग वर्जित।
- किसी भी प्रकार का अवकाश लेने से पूर्व प्राचार्य से स्वीकृति लेना आवश्यक है।
- महाविद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा व संरक्षण का दायित्व।
- नवाचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुये विद्यार्थी सहभागिता को सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता, निस्वार्थ सेवा एवं विश्व बन्धुत्व की भावना को विकसित करना ।
- संस्था मे उच्च स्तरीय अधिकारियों, सहकर्मियों, मन्त्रालयिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के साथ मर्यादित भाषा एवं गरिमा पूर्ण व्यवहार का प्रयोग करना।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी एवं सुचारू संचालन हेतु

महाविद्यालय की नियमावली

महाविद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक, सुरक्षित, सौहार्द्रपूर्ण, एवं अनुशासित बना रहे इसके लिए नियमावली का होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुशासन समिति का गठन किया गया है जिसमें प्राचार्य महोदया के साथ निम्नलिखित व्याख्यातागण शामिल है –

1. डॉ. रेणु अरोड़ा 2. श्रीमती नीलम यादव 3. सभी कक्षाध्यापक (एम.एड., बी.एड., बी.ए.–बी.एड., बी. एससी.–बी.एड. व डी.एल.एड.) 4. अंशिका जैन (विद्यार्थी परिषद्)

अनुशासन कमेटी के द्वारा महाविद्यालय में समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए है –

1. **उपस्थिति :–**
   - सभी विद्यार्थी नियत समय पर (प्रातः 9 बजे) महाविद्यालय में उपस्थित होगें।
   - सभी विद्यार्थियों के लिए माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो जायेगे।
   - अवकाश पर रहने की स्थिति में अपने पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर की गई एप्लीकेशन के बाद कक्षाध्यापक की पिताजी से व्हाट्सअप कॉल पर बात करवाने के बाद कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर होने बाद प्राचार्या महोदया की स्वीकृति लेनी होगी। तभी आप महाविद्यालय परिसर से बाहर जा सकते है।
   - आकस्मिक अवकाश (अर्द्ध अथवा पूर्ण) की स्थिति में कक्षाध्यापक द्वारा माता या पिता से वीडियो कॉल करके अवकाश सुनिश्चित (स्वीकृत) किया जाएगा।
2. सभी प्रशिक्षणार्थी अपने–अपने पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित यूनीफार्म के साथ अपना आई कार्ड भी रोजाना पहनकर आयेगें। प्रयोगशाला में कार्य करने से पूर्व विद्यार्थी को आवश्यक रूप से लैब कोट पहनना होगा।
3. सभी विद्यार्थी अपने असाइनमेंट समय पर सबमिट करवाए तथा महाविद्यालय में आयोजित की जाने वाली वर्कशॉप, सेमिनार में अपनी सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
4. कॉलेज कैम्पस को स्वच्छ रखने तथा अग्निशमन उपकरणों से किसी भी प्रकार छेड़छाड नहीं करना भी प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा। अगर किसी विद्यार्थी की इस तरह की लापरवाही से कोई गंभीर दुर्घटना घटित होती है तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा।
5. **पुस्तकालय :–** प्रत्येक विद्यार्थी अपने लाईब्रेरी कार्ड पर निर्धारित नियमानुसार पुस्तकें जारी करवा सकते हैं। पुस्तक खोने की स्थिति पुस्तकालय नियम के अनुसार भुगतान करना होगा। पुस्तकालय का उपयोग विद्यार्थी निर्धारित कालांश में ही करेगा। अपनी कक्षा के व्याख्यान (लेक्चर) छोड़कर पुस्तकालय में कोई विद्यार्थी नहीं जाएगा।
6. विद्यार्थियों को किसी भी असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के साथ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
7. छात्राओं को लंच टाईम में भी कैम्पस से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे केवल कैम्पस में स्थित कैंटीन तक जा सकेगी।
8. छात्राओं को अपने आवासीय पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर तुरंत महाविद्यालय में सूचित करना होगा।
9. छात्राओं को अपने वाहन निर्धारित क्षेत्र में ही पार्क करने है।
10. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश किये जाते समय सभी वाहनों की गति 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए व हैल्मेट के बिना दो से अधिक सवारी नहीं होनी चाहिए। गार्ड के द्वारा किसी भी छात्रा की इस संदर्भ में की गई शिकायत पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. (श्रीमती) यदु शर्मा
प्राचार्या